



प्रेस विज्ञप्ति
07.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय-1 ने गुवाहाटी के एक वरिष्ठ नागरिक के साथ “डिजिटल अरेस्ट” के माध्यम से की गई साइबर धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी करते हुए एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में धारित 43 बैंक खातों में पड़ी कुल लगभग **2.12 करोड़ रुपये** की शेषराशि को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी द्वारा जांच की शुरुआत साइबर पुलिस थाना, सीआईडी, असम, गुवाहाटी द्वारा अज्ञात साइबर धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गई।

जांच में यह सामने आया है कि सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच साइबर धोखाधड़ी करने वालों ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), मुंबई अपराध शाखा और सीबीआई के अधिकारियों का रूप धारण करके गुवाहाटी निवासी उक्त वरिष्ठ नागरिक से संपर्क किया। उन्होंने उसे झूठा विश्वास दिलाया कि उसके आधार से खोला गया एक बैंक खाता धन शोधन में संलिप्त है और उसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से तथाकथित “डिजिटल अरेस्ट” में रखा। उसे मनगढ़ंत न्यायालयी कार्यवाही और एक फर्जी “डिजिटल अरेस्ट वारंट” दिखाया गया, हर दो घंटे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बाध्य किया गया तथा किसी को भी इस मामले की जानकारी देने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने की धमकी दी गई। पहले उसके परिवार की धनराशि के “आरबीआई निरीक्षण” और बाद में एक फर्जी “जमानत बांड” के बहाने, पीड़ित को धोखाधड़ी करने वालों द्वारा बताए गए बैंक खातों में 19 लेन-देन के माध्यम से कुल लगभग 2.13 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया गया। इसके लिए उसने सावधि जमा, म्यूचुअल फंड और शेयरों को भुनाया तथा अपने पेंशन खाते और बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध ऋण लिया।

आगे की जांच में यह सामने आया है कि वसूली गई धनराशि पहले चरण के “म्यूल” खातों में जमा की गई और तत्काल ही उसे विभाजित करके देश भर में व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों द्वारा धारित बैंक खातों की कई परतों के माध्यम से भेजा गया। इसके बाद, धनराशि को नकद में निकाला गया, डिजिटल मुद्रा में परिवर्तित किया गया, भुगतान गेटवे को हस्तांतरित किया गया अथवा अन्य खातों

में आगे भेजा गया, ताकि धनराशि के लेन-देन के स्रोत एवं मार्ग को छिपाने के लिए जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से उसका आवागमन किया जा सके। इन खातों में किए गए लेन-देन खाताधारकों द्वारा घोषित प्रोफाइल से पूरी तरह असंगत पाए गए, जिससे साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट द्वारा संचालित म्यूल खातों के एक संगठित नेटवर्क का संकेत मिलता है।

धनराशि के लेन-देन के मार्ग का पता लगाकर ईडी ने ऐसे 43 बैंक खातों की पहचान की, जिनके माध्यम से अपराध से अर्जित आय को हस्तांतरित किया गया था और जिनमें अभी भी शेषराशि उपलब्ध थी। इन शेषराशियों को, जो अपराध से अर्जित आय अथवा उसके समतुल्य मूल्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके अपव्यय को रोकने के उद्देश्य से पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।